भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
मौखिक प्रश्न सं. 33
गुरूवार, 6 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूंजी निवेश योजना के अंतर्गत विशेष सहायता

33 श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:
क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के अंतर्गत देश में 40 कम ज्ञात स्थलों के विकास के लिए धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रयोजन के लिए आंध्र प्रदेश राज्य से गांडिकोटा, नल्लमाला और राजामहेंद्रवरम की पहचान की गई है;

(ग) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में उपर्युक्त स्थलों को दी जाने वाली विशेष सहायता का स्थल-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपरोक्त परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ड.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

श्री येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूंजी निवेश योजना के अंतर्गत विशेष सहायता के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के मौखिक प्रश्न सं. 33 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में **विवरण**

(क) से (ड.): भारत सरकार ने 'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) - वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों का विकास' नामक अपनी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश के 23 राज्यों में 3295.76 करोड़ रुपये की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने एसएएससीआई योजना के अंतर्गत 3 परियोजना प्रस्तावों अर्थात् आंध्र प्रदेश में 'अखंड गोदावरी: रिइमेजिनिंग हैवलॉक ब्रिज और पुष्कर घाट, राजामहेंद्रवरम का पुनर्विकास', 'गंडिकोटा - फोर्ट एवं गॉर्ज एक्सपीरियंस का संवर्धन', और 'सूर्य लंका- एक प्रतिष्ठित वैश्विक आश्रयस्थल' को विचारार्थ प्रस्तुत किया है। यथोचित प्रक्रिया के उपरांत, सरकार ने एसएएससीआई योजना के तहत कार्यान्वयन हेतु आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित परियोजनाओं को मंजूरी दी है:

क्र. सं.	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)**
1.	गंडिकोटा - फोर्ट एवं गोर्ज एक्सपीरियंस का संवर्धन	77.91
2.	अखंड गोदावरी: (हेवलॉक ब्रिज और पुष्कर घाट) राजामहेंद्रवरम	94.44
	कुल	**172.35**

भारत सरकार ने उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार को पहली किस्त के रूप में 113.75 करोड़ रु. भी जारी कर दिए हैं। एसएएससीआई योजना के प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को 2 वर्ष की अवधि में विकसित और पूर्ण किया जाएगा।

*****